धारा IV : अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

(पीएमएसबीडी 002)

भाग I : सभी प्रकार की निविदाओं के लिए लागू अनुबंध की सामान्य शर्तें

1.परिभाषाएं; व्याख्याएँ और संक्षिप्त शब्द : अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित

1.1 परिभाषाएँ और व्याख्याएँ :

(i) "अनुबंध" से तात्पर्य ऐसे पत्र या ज्ञापन से है जो ठेकेदार को उसकी निविदा की स्वीकृति हेतु संवाद स्थापित करने के लिए होता है और उसमें निविदा "प्रदान करने की सूचना" भी शामिल होती है; "अनुबंध" में बोली निमंत्रण, निविदाकर्ताओं को निर्देश, निविदा, निविदा की स्वीकृति, अनुबंध की सामान्य शर्तें, आवश्यकताओं की अनुसूची, ब्यौरे और निविदा की स्वीकृति में निर्दिष्ट अन्य शर्तें भी शामिल है और एक दोहराना आदेश, जिसे स्वीकार कर लिया गया है या ठेकेदार द्वारा जिस पर काम किया गया है, और एक औपचारिक समझौता, यदि अमल किया गया है; शामिल है।

(ii) "ठेकेदार" या "आपूर्तिकर्ता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या फर्म से है जो माल और सेवाओं की आपूर्ति करते है। इसमें उसके कर्मचारी, एजेंट, उत्तराधिकारी, अधिकृत डीलर, स्टॉकिस्ट और वितरक भी शामिल है। अन्य सजातीय शब्द हैं : विक्रेता, फर्म, निर्माता, ओईएम (निर्यातक) आदि।;

(iii) "रेखा-चित्र (ड्राइंग)" से तात्पर्य ड्राइंग या विनिर्देशों में निर्दिष्ट या अधिकार में ली जाने वाली ड्राइंग से है;

(iv) "सरकार" से तात्पर्य केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से है, जैसा भी मामला हो।

(V) "निरीक्षण अधिकारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति या संगठन से है जो अनुबंध के तहत उपयोगी स्टोर के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट है और इसमें उसके/उनके अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हैं;

(Vi) "खरीद अधिकारी" का मतलब निविदा की स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी से है और इसमें वह अधिकारी भी शामिल है; जिसके पास क्रेता की ओर से संबंधित अनुबंध निष्पादित करने का अधिकार है।

(Vii) "क्रेता" का मतलब भारिबैंनोमुप्रालि - दस्तावेजों में शामिल माल और सेवाओं की खरीद के रूप में संगठन से है;

(Viii) "हस्ताक्षरित" मतलब, निविदा की स्वीकृति या उसमें किसी संशोधन के मामले छोड़कर, टिकट लगा हुआ हस्ताक्षर होता है;

(iX) "टेस्ट" का मतलब इस तरह के परीक्षण से है जो ब्यौरे द्वारा निर्धारित या निरीक्षण अधिकारी द्वारा आवश्यक माना जाता है भले ही निरीक्षण अधिकारी या निरीक्षण अधिकारी के निर्देशन में किसी अन्य एजेंसी द्वारा निष्पादित/किया जाता है;

(X) स्टोर की सुपुर्दगी, अनुबंध की शर्तों के अनुसार निरीक्षण अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद, स्टोर की सुपुर्दगी की जगह पर ली हुई समझी जाएगी, यदि अनुबंध में ऐसा प्रदान किया जाता है -

क. परेषिती अपने परिसर में; या

ख. जहां ऐसा प्रदान किया जाता है, अंतरिम परेषिती उसके परिसर में; या

ग. एक वाहक या परेषिती को पारेषण करने के प्रयोजन के लिए अनुबंध में नामित अन्य व्यक्ति: या

घ. गंतव्य स्टेशन पर परेषिती यदि अनुबंध में स्टोर की सुपुर्दगी गंतव्य स्टेशन पर निर्धारित की गई है।

(Xi) "लेखन" या "लिखा हुआ", के मामले में, पूरा या हिस्से में, पांडुलिपि में, टाइप किया हुआ, शिलामुद्रित, चक्रलिपित किया हुआ, फोटो कॉपी किया हुआ या हस्ताक्षर या मुहर के तहत मुद्रित, जैसा भी मामला हो सकता है, आदि शामिल है।

(Xii) एकवचन शब्दों में बहुवचन शब्द शामिल हैं और इसके विपरीत क्रम में वैसे ही।

(Xiii) शब्द जो पूर्लिंग शब्द के द्योतक है उनमें स्त्रीलिंग शब्द भी शामिल किया जाएगा और शब्द जो व्यक्तियों के द्योतक है उनमें किसी भी कंपनी या संस्था या संघ/निकाय का नाम भी शामिल किया जाएगा, भले ही शामिल किया गया है या नही।

(Xiv) इन शर्तों के शीर्षक, व्याख्या या उसके निर्माण को प्रभावित नहीं करेंगे।

(Xv) नियम और अभिव्यक्तियां जो यहाँ परिभाषित नहीं की जा पा रही है उनके अर्थ, भारतीय माल बिक्री अधिनियम, 1930 (यथा संशोधित) या भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (यथा संशोधित) या सामान्य खंड अधिनियम, 1897(यथा संशोधित), जैसा भी मामला हो सकता है, में प्रदत अनुसार होगा।

(XVI) पार्टियां : अनुबंध के लिए पार्टियां "ठेकेदार" और "क्रेता" है, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया हैं;

(Xvii) "निविदा" से तात्पर्य एक फर्म/आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया गया उद्धरण/बोली है।

(Xviii) "माल" से तात्पर्य सामान, सामग्री, वस्तुएँ, पशुधन, फर्नीचर, स्थिरक, कच्चा माल, पुर्जे, उपकरण, मशीनरी, औज़ार, औद्योगिक संयंत्र आदि जिनको आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के तहत भारिबैंनोमुप्रालि को आपूर्ति करना आवश्यक है। अन्य समानार्थी शब्द : स्टोर, सामग्री आदि हैं।

(Xix) "सेवा" से तात्पर्य माल की आपूर्ति करने से संबधित और प्रासंगिक सेवाओं, जैसे कि परिवहन, स्थापना, कमीशन, तकनीकी सहायता का प्रावधान, प्रशिक्षण, बिक्री के बाद की सेवा, रखरखाव सेवा और अनुबंध के तहत कवर आपूर्तिकर्ता के इस तरह के अन्य दायित्वों आदि से है।

(Xx) "बयाना राशि जमा" (ईएमडी) का अर्थ निविदाकर्ता द्वारा अपनी निविदा के साथ प्रस्तुत की जाने वाली मौद्रिक गारंटी से है।

(Xxi) "निष्पादन सुरक्षा" से तात्पर्य मौद्रिक गारंटी से है जो सफल निविदाकर्ता द्वारा उस पर रखे गए अनुबंध के यथोचित निष्पादन के लिए प्रस्तुत की जानी है। निष्पादन सुरक्षा, सुरक्षा जमा या निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में भी जानी जाती है।

(Xxii) "परेषिती" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे सामान सुपुर्द किया जाना हैं, जैसा कि अनुबंध में निर्दिष्ट किया गया है। यदि माल प्रेषण के प्रयोजन के लिए एक अंतरिम परेषिती के रूप में एक अन्य व्यक्ति को सुपुर्द किया जाना हैं, जैसा कि अनुबंध में निर्दिष्ट है तो "वह अन्य व्यक्ति" परेषिती होगा, जो परम परेषिती के रूप में भी जाना जाता है।

(XXiii) "विनिर्देश" या "तकनीकी विनिर्देश" वे ड्राइंग/दस्तावेज/मानक है जो उन आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं जिनकी कि उत्पाद या सेवा को पुष्टि करनी होती है।

(Xxiv) "निरीक्षण" से तात्पर्य उन गतिविधियां से है जो उत्पाद या सेवा की एक या अधिक विशेषताओं को मापने, जांच करने, परीक्षण, विश्लेषण करने, और उनकी निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुरूप तुलना करने की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए होती है।

(XXV) "दिवस" का अर्थ कैलेंडर दिन।

1.2 संक्षित रूप:

"एएईसी" "AAEC" का अर्थ है "प्रतियोगिता पर प्रशंसनीय प्रतिकूल प्रभाव" प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार

"बीजी" "BG" का अर्थ है बैंक गारंटी

"बीएल या बी/एल" का अर्थ है लदान का बिल

"सीडी "CD का अर्थ है सीमा शुल्क

"सीआईएफ" "CIF" का अर्थ है लागत, बीमा और माल भाड़ा शामिल

"सीएमडी" "CMD" का अर्थ है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

"सीपीएसयू" "CPSU" का अर्थ है केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

"सीएसटी" "CST" का अर्थ है केन्द्रीय बिक्री कर

"डीडीओ" "DDO" का अर्थ है दर अनुबंध में प्रत्यक्ष मांग अधिकारी

"डीजीएसएंडडी""DGS&D" का अर्थ है आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय

"डीपी' "DP' का अर्थ है सुपुर्दगी अवधि

"ईसीएस" "ECS" का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली

"ईडी" "ED" का अर्थ है उत्पाद शुल्क

ईएमडी EMD का अर्थ है बयाना राशि जमा

"ईओआई" "EOI" का अर्थ है अभिरुचि की अभिव्यक्ति (निविदा प्रणाली)

"ईआरवी" "ERV" का अर्थ है विनिमय दर परिवर्तन

"एफएएस" "FAS" का अर्थ है लदान के साथ मुफ्त

"एफओबी" "FOB" का अर्थ है बोर्ड पर माल ढुलाई

"एफओआर" "FOR" का अर्थ है रेल पर नि: शुल्क

"जीसीसी" "GCC" का अर्थ है अनुबंध की सामान्य शर्तें

जीआईटी GIT का अर्थ है निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश

जीएसटी GST का अर्थ है माल एवं सेवा कर जो बिक्री कर का स्थान लेगा

"एच1, एच2 आदि" का अर्थ है निपटान निविदाओं में सबसे पहली उच्चतम, दूसरा उच्चतम पेशकश आदि

इनकोटर्मस Incoterms का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नियम, 2000 (आईसीसी के)

"एल1. एल2 आदि" का अर्थ है पहली या दूसरी सबसे कम पेशकश आदि

"एलसी" "LC" का अर्थ है साख पत्र

"एलडी या एल/डी" का अर्थ है परिसमापन क्षति

"एलएसआई" "LSI" का अर्थ है वृहद पैमाना उद्योग

"एनआईटी" "NIT" का अर्थ है निविदाएं आमंत्रण सूचना

"एनएसआईसी" "NSIC" का अर्थ है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

"पीक्यूबी" "PQB" का अर्थ है पूर्व योग्यता बोली का मतलब

"पीएसयू" "PSU" का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

"पीवीसी" "PVC" का अर्थ है कीमत विभिन्नता खंड

"आर सी" "RC" का अर्थ है दर अनुबंध

"आरआर या आर/आर" का अर्थ है रेलवे रसीद

"एसबीडी" या "टीडी" का अर्थ है मानक बोली दस्तावेज/निविदा दस्तावेज

"एससीसी" "SCC" का अर्थ है अनुबंध की विशेष शर्तें

"एसआईटी" "SIT" का अर्थ है निविदाकर्ताओं को विशेष निर्देश

"भारिबैंनोमुप्रालि " का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड

"एसएसआई" "SS I" का अर्थ है लघु पैमाना उद्योग

"एसटी" "ST" का अर्थ है बिक्री कर

'वैट' "VAT" का अर्थ है वैल्यू एडेड टैक्स

2. आवेदन

2.1 इस खंड में शामिल की गई अनुबंध की सामान्य शर्तें इस खरीद के लिए लागू होगी जब तक कि इस दस्तावेज़ की धारा V के तहत निर्धारित अनुबंध की विशेष शर्तों (एससीसी) का किसी हद तक अधिक्रमण नहीं करती हैं।

2.2 अनुबंध की सामान्य शर्तें एक निविदा से दूसरी निविदा के लिए बदली नहीं की जाएगी।

2.3 अन्य कानून और शर्तें जो अनुबंध को नियंत्रित करेंगी :

जीसीसी और एससीसी के अलावा निम्न शर्तें और कानून भी लागू होंगे और अनुबंध के भाग के रूप में विचार किए जाएंगे :

i. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
ii. माल बिक्री अधिनियम, 1930
iii. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996
iv. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 प्रतियोगिता से यथासंशोधित (संशोधन अधिनियम), 2007
v. बातचीत के दौरान संशोधित प्रस्ताव सहित, यदि कोई हो, ठेकेदार की निविदा प्रस्तुतियाँ।
vi. निविदा दस्तावेज के अन्य भागों में परिस्थितियां
vii. निविदा को अंतिम रूप देने के दौरान ठेकेदार और भारिबैंनोमुप्रालि के बीच जवाबी ऑफ़र, यदि कोई है, सहित पत्राचार;
viii. प्रदान करने की अधिसूचना और अनुबंध दस्तावेज
ix. अनुबंध करने के बाद में संशोधन

3. अनुबंध दस्तावेजों और सूचनाओं का प्रयोग

3.1 आपूर्तिकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी विनिर्देश, ड्राइंग, नमूना या भारिबैंनोमुप्रालि की ओर से या उसके द्वारा इस संबंध में दी गई जानकारी सहित इन निविदा दस्तावेजों से निर्गत अनुबंध के निष्पादन में अनुबंध या इसके किसी भी प्रावधान का, आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्यरत व्यक्ति (यों) के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को खुलासा नहीं

करेगा। इसके अलावा, किसी भी तरह के नियोजित व्यक्ति को किसी भी तरह का खुलासा, केवल विश्वास के साथ और इस अनुबंध के ऐसे निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, तभी किया जाएगा।

3.2 सुरक्षा या संवेदनशील मशीनरी और आइटम की खरीद प्रक्रिया के दौरान, निविदा दस्तावेज और ऐसी वस्तुओं की विशिष्टताएँ/चित्र केवल उन्ही विक्रेताओं को जारी किए जाएंगे जिनके पास ऐसी निकासी की वैधता के तहत सुरक्षा निकासी है और उसे पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना चाहिए और प्रतियों की संख्या एवं दस्तावेजों की पंहुच और उससे संबन्धित प्रतियों को, ऊपर उप-पैरा में वर्णित सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए।

3.3 इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस अनुबंध के निष्पादन के एकमात्र उद्देश्य को छोड़कर, ऊपर जीसीसी उपखंड 3.1 में वर्णित किसी भी दस्तावेज या जानकारी का इस्तेमाल नहीं करेगा।

3.4 आपूर्तिकर्ता को जारी किए गए अनुबंध के अलावा, ऊपर जीसीसी के उपखंड 3.1 में वर्णित प्रत्येक अन्य दस्तावेज भारिबैंनोमुप्रालि की संपत्ति रहेंगे और यदि भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा सलाह दी जाती है, तो ऐसे सभी दस्तावेजों की सभी प्रतियां आपूर्तिकर्ता के इस अनुबंध के तहत निष्पादन और दायित्वों के पूरा होने पर भारिबैंनोमुप्रालि को पुन: लौटाई जाएगी।

4. पेटेंट अधिकार

4.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा हर समय, अनुबंध के तहत प्रदान किए गए माल और सेवाओं के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी दावों के खिलाफ, डिजाइन या ट्रेडमार्क के पंजीकरण, पेटेंट द्वारा संरक्षित किसी भी अधिकार के उल्लंघन के लिए भारिबैंनोमुप्रालि को मुफ्त क्षतिपूर्ति की जाएगी। पंजीकृत डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि के कथित उल्लंघन के संबंध में भारिबैंनोमुप्रालि के खिलाफ इस तरह के कोई भी दावा किए जाने की स्थिति में, भारिबैंनोमुप्रालि उस आपूर्तिकर्ता को अधिसूचित करेगी और आपूर्तिकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि के किसी भी दायित्व के बिना अपने स्वयं के खर्च पर निपटान के लिए उसकी देखभाल करेगा।

5. मूल उद्गम देश

5.1 अनुबंध के लिए आपूर्ति एवं प्रदान की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल उद्गम भारत में या ऐसे देशों से जिसके साथ भारत सरकार के व्यापारिक संबंध है, होगा।

5.2 इस खंड में शामिल किए गए शब्द "मूल उद्गम" का मतलब उस जगह से है जहां से माल खनन, उगाया, खेती, विकसित, निर्माण, उत्पादन या प्रसंस्कृत किया जाता हैं या जहां से सेवाओं की व्यवस्था की जाती हैं।

6. निष्पादन बॉण्ड/सुरक्षा

6.1 भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा प्रदान किए जाने की अधिसूचना जारी करने के बाद इक्कीस दिनों के भीतर, आपूर्तिकर्ता अनुबंध की कुल राशि मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर भारिबैंनोमुप्रालि को निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करेगा, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा वारंटी दायित्वों सहित, सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख के बाद, साठ दिनों के लिए वैध होगा।

6.2 निष्पादन सुरक्षा भारतीय रुपए में या अनुबंध में मूल्यवर्गित मुद्रा में किया जाएगा और निम्नलिखित में से किसी एक रूप में होगा:

क. खाता में देय मांग ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद के रूप में, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक पर तैयार भारिबैंनोमुप्रालि के उसी अधिकारी के पक्ष में देय होगा जैसा कि ईएमडी के संदर्भ में एनआईटी के खंड 3 में संकेत दिया गया है।

ख. इस दस्तावेज़ की धारा XV में प्रदान किए गए निर्धारित प्रपत्र में भारत में एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी कि गई बैंक गारंटी के रूप में।
6.3 अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने की विफलता की वजह से किसी भी नुकसान की स्थिति में, भारिबैंनोमुप्रालि को इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए निष्पादन सुरक्षा की राशि भारिबैंनोमुप्रालि को देय होगी।

6.4 अनुबंध हेतु कोई भी संशोधन जारी किए जाने की स्थिति में, आपूर्तिकर्ता को, संशोधन जारी होने के इक्कीस दिनों के भीतर, निष्पादन सुरक्षा से संबंधित संशोधन (यथाआवश्यक), प्रस्तुत करना होगा, अनुबंध के मामले में सभी पहलुओं में वैध, जैसे कि संशोधित हुआ है, भी प्रतिपादित करना होगा।

6.5 जीसीसी के ऊपरोक्त उपखंड 6.3 के अधीन, आपूर्तिकर्ता के वारंटी दायित्वों सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने पर बिना किसी ब्याज के निष्पादन सुरक्षा भारिबैंनोमुप्रालि आपूर्तिकर्ता को जारी करेगी।

7. तकनीकी विनिर्देश और मानक

7.1 इस अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली माल और सेवाएँ, इस दस्तावेज के तहत धारा VII और VIII 'तकनीकी विशिष्टता' और 'गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताओं' में उल्लेख किए गए तकनीकी विनिर्देश और गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों के अनुरूप होगी।

8. पैकिंग और चिन्हित करना

8.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली माल की पैकिंग, यानांतरण सहित (यदि कोई है), पारगमन के दौरान पूरी यात्रा में बिना किसी बाधा के, अपरिष्कृत संचालन, खुले भंडारण आदि किसी भी क्षति, गिरावट के बिना, सहन करने हेतु काफी मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए। जब और यदि आवश्यक है तो, पैकिंग के डिब्बों का आकार, वजन और आयतन, माल के अंतिम गंतव्य की पृथकता या अन्यथा अनुबंध के अनुसार अंतिम गंतव्य तक सभी बिंदुओं पर पारगमन के दौरान परिवहन और हैंडलिंग सुविधाओं की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

8.2 पैकिंग की गुणवत्ता, डिब्बों के भीतर और बाहर चिन्हांकन के तरीके और अनुषंगी दस्तावेजों के प्रावधान, एससीसी के तहत धारा V और धारा VII एवं VIII के तहत तकनीकी विनिर्देश और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताओं में दिए अनुसार सख्ती से आवश्यकताओं के अनुरूप होगे। यदि अनुबंध में किसी भी संशोधन जारी करने की वजह से पैकिंग आवश्यकताओं में संशोधन किया जाता हैं, तो आपूर्तिकर्ता द्वारा तदनुसार इसकी भी देखभाल की जाएगी।

8.3 पैकिंग के निर्देश:

जब तक अन्यथा एससीसी के तहत धारा V और धारा VII एवं VIII के तहत तकनीकी विनिर्देश और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताओं में उल्लेख नहीं किया गया है, आपूर्तिकर्ता प्रत्येक परेषिती (यदि अनुबंध में एक से अधिक परेषिती उल्लिखित है) के लिए अलग पैकेज/डिब्बे तैयार करेगा और प्रत्येक पैकेज के तीनो बाजू पर उचित गुणवत्ता के अमिट पेंट/रंग से निम्नलिखित निशान चिन्हाकिंत करेगा :

क) अनुबंध की संख्या और दिनांक
ख) मात्रा सहित माल का संक्षिप्त विवरण
ग) पैकिंग सूची संदर्भ संख्या
घ) माल का मूल उद्गम देश
ई) परेषिती का नाम और पूरा पता तथा

च) आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

9. निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण

9.1। भारिबैंनोमुप्रालि और/या इसके नामित प्रतिनिधि (यों), भारिबैंनोमुप्रालि के लिए किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना, आदेश दिए गए माल और संबंधित सेवाओं का, अनुबंध विनिर्देशों और अनुबंध में शामिल अन्य गुणवत्ता नियंत्रण विवरणों के अनुरूपता की पुष्टि करने के लिए निरीक्षण और/या परीक्षण करेंगे। भारिबैंनोमुप्रालि लिखित रूप में पहले से ही आपूर्तिकर्ता को भारिबैंनोमुप्रालि के इस तरह के निरीक्षण कार्यक्रम के लिए सूचित करेगा और इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारियों की पहचान भी सूचित करेगा।

9.2 अनुबंध में शामिल तकनीकी विशिष्टता और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताएँ निर्दिष्ट करेगी कि क्या निरीक्षण और परीक्षण किया जाना हैं और यह भी, कि कहाँ और कैसे इनका आयोजन किया जाना है। यदि ऐसे निरीक्षण और परीक्षण आपूर्तिकर्ता या उसके उपठेकेदार (ओं), की परिसर में आयोजित किए जाते हैं तो प्रासंगिक ड्राइंग, डिजाइन विवरणों और उत्पादन के आंकड़ों के लिए पहुँच सहित सभी उचित सुविधाएं और सहायता, भारिबैंनोमुप्रालि पर बिना किसी शुल्क के, आपूर्तिकर्ता द्वारा भारिबैंनोमुप्रालि के निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

9.3 यदि इस तरह के निरीक्षण और परीक्षण के दौरान अनुबंधित माल अपेक्षित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होने में विफल रहता हैं तो भारिबैंनोमुप्रालि के निरीक्षक उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं और आपूर्तिकर्ता को या तो अस्वीकृत माल की जगह दूसरा माल प्रतिस्थापित करना होगा या विनिर्देशों और मानकों को पूरा करने के लिए यथाआवश्यक, सभी आवश्यक परिवर्तन भारिबैंनोमुप्रालि के लिए मुफ्त, करने होंगे, और भारिबैंनोमुप्रालि के निरीक्षक द्वारा पुनः निरीक्षण और परीक्षण का संचालन करने के लिए फिर से प्रस्तुत करना होगा।

9.4 यदि अनुबंध में आदेश दिए गए माल का आपूर्तिकर्ता की परिसर में पूर्व प्रेषण निरीक्षण करना निर्दिष्ट है, तो आपूर्तिकर्ता को माल को संविदात्मक सुपुर्दगी अवधि के काफी पहले भारिबैंनोमुप्रालि के निरीक्षक को इस तरह के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा ताकि भारिबैंनोमुप्रालि के निरीक्षक संविदात्मक सुपुर्दगी अवधि के भीतर निरीक्षण को पूरा करने में सक्षम हो सके।

9.5 यदि आपूर्तिकर्ता संविदात्मक सुपुर्दगी अवधि के भीतर निरीक्षण पूरा करने हेतु बिना उचित समय उपलब्ध कराए भारिबैंनोमुप्रालि के निरीक्षक को अंतिम समय में निरीक्षण के लिए निविदा माल प्रस्तुत करता हैं, निरीक्षक आपूर्तिकर्ता की कीमत और जोखिम पर निरीक्षण कर सकता हैं और संविदात्मक सुपुर्दगी अवधि से परे निरीक्षण की औपचारिकताएँ पूरी कर सकता हैं। तथ्य यह है कि संविदात्मक सुपुर्दगी अवधि के बाद निरीक्षण किया गया माल अनुबंध को बनाए रखने हेतु प्रभाशाली नहीं होगा और यह अनुबंध की शर्तों एवं नियमों के तहत भारिबैंनोमुप्रालि के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार और उपचार के लिए किसी भी पक्षपात के बिना होगा।

9.6 भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा, निरीक्षण, परीक्षण और, यदि आवश्यक हो तो, अंतिम गंतव्य पर माल आने के बाद माल को अस्वीकार करने का संविदात्मक अधिकार, का इस तथ्य पर कोई असर नहीं होगा कि माल ऊपर उल्लेखनुसार पूर्व प्रेषण निरीक्षण के दौरान भारिबैंनोमुप्रालि के निरीक्षक द्वारा पहले से ही निरीक्षित और स्वीकृत किया गया है।

9.7 अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल प्रारंभिक निरीक्षण और अंतिम निरीक्षण में भारिबैंनोमुप्रालि और/या उसके निरीक्षक द्वारा स्वीकार किया गया है, यदि अनुबंध की वारंटी खंड के मामले में कोई कमी पाई जाती है, जैसा कि जीसीसी खण्ड के तहत शामिल किया गया है, तो भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा माल को बाद में अस्वीकार करने के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं करेगा।

10 सुपुर्दगी की शर्तें

10.1 माल अनुबंध में उल्लिखित सुपुर्दगी की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा सुपुर्द किया जाएगा।

11. माल का परिवहन

11.1 आपूर्तिकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि की व्यक्त/लिखित पूर्व सहमति के बिना भागों में-लदान और/या यानांतरण की व्यवस्था नहीं करेगा।

11.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी स्वयं की व्यवस्था के तहत पहले से ही आयातित माल सहित घरेलू सामान के परिवहन के लिए निर्देश : यदि इस संबंध में एससीसी में कोई अनुदेश प्रदान नहीं किया गया है, आपूर्तिकर्ता अपनी स्वप्रक्रिया के अनुसार आदेश दिए गए माल के परिवहन की व्यवस्था करेगा।

11.3 विदेशी अनुबंध के लिए शिपिंग व्यवस्था : एफओबी/एफएएस अनुबंध के मामले में, शिपिंग व्यवस्था नौवहन और परिवहन मंत्रालय (चार्टर्ड विंग), नई दिल्ली, भारत द्वारा, एसबीडी की धारा XVIII में दिए गए ब्यौरे के अनुसार की जाएगी। अनुबंधकर्ता को अग्रेषण एजेंटों/नामांकित व्यक्तियों को समय-समय पर माल की

तत्परता के बारे में पर्याप्त नोटिस देना होगा और शिपिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक स्थिति का कम से कम छह सप्ताह पहले नोटिस देना होगा। सीएंडएफ अनुबंध के मामले में, अनुबंधकर्ता नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत की आवश्यकताओं के अनुसार उसी एसबीडी की धारा में संकेतानुसार (जो लागू हो) लदान की व्यवस्था करेगा।

12. बीमा :

12.1 जब तक अन्यथा एससीसी में निर्देशित नहीं किया गया है, आपूर्तिकर्ता निर्माण या अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण और सुपुर्दगी के प्रासंगिक नुकसान या क्षति के खिलाफ माल का बीमा निम्नलिखित तरीके से कराएगा।

12.2 सीआईएफ गंतव्य के आधार पर घरेलू सामान की आपूर्ति के मामले में, संपूर्ण अनुबंधित स्टोर के गंतव्य पर अच्छी हालत में पहुँचने तक के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा। इस संबंध में पारगमन जोखिम आपूर्तिकर्ता द्वारा स्टोर के विधिवत रूप से बीमा करने के द्वारा कवर किया जाएगा। बीमा कवर आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने नाम पर प्राप्त किया जाएगा और भारिबैंनोमुप्रालि या उसके परेषिती के नाम पर नहीं किया जाएगा।

12.3 एफओबी और सीएंडएफ के मामले में माल के आयात के लिए, बीमा की व्यवस्था क्रेता द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि, आपूर्तिकर्ता को शिपमेंट की तारीख से पहले क्रेता को पर्याप्त सूचना देनी चाहिए, ताकि लदान के लिए बीमा कवर सक्रिय किया जा सके। आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि लदान यात्रा अपने बीमा कवर के साथ चलें।

12.4 माल के आयात के मामले में, यहां तक कि ऐसे मामले में जहां बीमा का भुगतान क्रेता द्वारा किया गया है, नुकसान या क्षति के बीमा के दावे के निपटान, बिना इंतजार किए निशुल्क रूप से ठेकेदार की लागत से, अच्छा किया जाएगा। बीमा दावे के निपटान के बाद ठेकेदार को भुगतान क्रेता द्वारा प्रतिपूर्ति के माध्यम से किया जाएगा। बीमा दावे के निपटान का इंतजार किए बिना हानि/क्षति की पूर्ति करना पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, ताकि मशीन अनुबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर कमीशन की जा सके।

13. अतिरित पूर्जे/स्पेयर पार्ट्स

13.1 यदि आवश्यकताओं की सूची और उसके परिणामी अनुबंध में निर्दिष्ट किया गया है, आपूर्तिकर्ता आपूर्ति से संबंधित निम्न कोई भी या सभी सामग्री, सूचना आदि, आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्मित और/या प्रदान किए गए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करेगा:

क) भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा चयनित, आपूर्तिकर्ता से खरीदे जाने वाले स्पेयर पार्ट्स, इस शर्त के अधीन होंगे कि स्पेयर पार्ट्स की ऐसी खरीद वारंटी दायित्वों सहित किसी भी संविदात्मक बाध्यता से आपूर्तिकर्ता को राहत नहीं दिलाएगी; तथा
ख) यदि स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन बंद कर दिया जाता है:

i. ऐसे विच्छेदन करने से पहले भारिबैंनोमुप्रालि को आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की खरीद आदि के लिए पर्याप्त समय देने हेतु भारिबैंनोमुप्रालि को पर्याप्त अग्रिम सूचना प्रदान करनी होगी और

ii. इस तरह के विच्छेदन के तुरंत बाद, लागत, डिजाइन, ड्राइंग, लेआउट और स्पेयर पार्ट्स की विशिष्टताओं को भारिबैंनोमुप्रालि को निशुल्क उपलब्ध कराना होगा जब भी भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा अनुरोध किए जाते है।

13.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति को आश्वस्त करने के लिए माल के उपभोज्य पुर्जों के स्टॉक शेष माल की पर्याप्त वस्तुसूची ले जाना होगा ताकि भारिबैंनोमुप्रालि से आदेश प्राप्त होने पर तुरंत भारिबैंनोमुप्रालि को इनकी आपूर्ति की जा सके।

14. आकस्मिक सेवाएँ

14.1 एससीसी (धारा- V) और तकनीकी विशिष्टता (धारा - VII)) के अधीन शर्त, यदि कोई निर्दिष्ट हो, आपूर्तिकर्ता को निम्न में से किसी एक या सभी सेवाओं को प्रदर्शन करना आवश्यक होगा:
क) समवेत करने के लिए आवश्यक जिग्स और उपकरण उपलब्ध कराना, माल की रवानगी और रखरखाव

ख) माल के लिए संचालन और रखरखाव मैनुअलों की आवश्यक संख्या की आपूर्ति करना
ग) माल की स्थापना और कमीशनिंग
घ) माल के संचालन और रखरखाव के लिए भारिबैंनोमुप्रालि के प्रचालकों का प्रशिक्षण
ई) अनुबंध के कार्यकाल के दौरान बिक्री के बाद सेवा प्रदान करना
च) माल की वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद रखरखाव सेवा प्रदान करना यदि अनुबंध में ऐसा शामिल किया गया है

14.2 किसी भी आवश्यक आकस्मिक सेवा के लिए कीमत का भुगतान भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा आपूर्तिकर्ता को किया जाना है, यदि पहले से ही अनुबंध के प्लेसमेंट के दौरान अनुबंध की कीमत में ऐसा शामिल नहीं किया गया है, तो भारिबैंनोमुप्रालि और आपूर्तिकर्ता द्वारा इसका अग्रिम रूप से समायोजन और निर्णय किया जाएगा। हालांकि, ऐसी कीमतें आपूर्तिकर्ता द्वारा इसी तरह की सेवाओं के लिए अन्य ग्राहकों से ली जाने वाली समकालीन दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. माल की निकासी/प्राप्ति के लिए प्रेषण दस्तावेजों का वितरण

15.1 अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता माल की निकासी या प्राप्त करने हेतु (जैसा भी मामला हो) भारिबैंनोमुप्रालि को सक्षम करने के लिए सही समय पर सभी प्रासंगिक प्रेषण दस्तावेज भारिबैंनोमुप्रालि को भेजेगा। जब तक अन्यथा एससीसी में निर्दिष्ट नहीं है, शामिल व्यावहारिक दस्तावेज और इस उद्देश्य के लिए सामान्य रूप से पालन की जाने वाली ड्रिल इस प्रकार है:

15.2 पहले से ही प्रेषित, अपनी व्यवस्था के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा 24 घंटे के भीतर आयातित माल सहित घरेलू सामान, के लिए, आपूर्तिकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि, परेषिती, और संबंधित अन्य लोगों को प्रेषण की पूरी जानकारी अधिसूचित करेगा, यदि अनुबंध में उल्लेख किया गया है और उन्हें निम्न दस्तावेजों की आपूर्ति भी पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा करेगा (जैसा कि अनुबंध में निर्देशित है):

(क) आपूर्तिकर्ता का चालान जिसमें अन्य बातों के साथ माल का विवरण और विनिर्देश, मात्रा, यूनिट मूल्य,
कुल मूल्य का संकेत है;
(ख) पैकिंग सूची;
(ग) बीमा प्रमाण पत्र;
(घ) रेलवे रसीद/परेषण नोट;

(ड़) निर्माता का गारंटी प्रमाण पत्र और गृह निरीक्षण प्रमाण पत्र;
(च) भारिबैंनोमुप्रालि के निरीक्षक द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाण पत्र
(छ) गंतव्य पर माल के आने की अनुमानित तारीख और
(ज) कोई अन्य दस्तावेज (ओं), जो और यदि अनुबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

15.3 आयातित माल के लिए, प्रेषण के 3 दिनों के भीतर, आपूर्तिकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि, परेषिती और अन्य संबंधितों को, यदि अनुबंध में उल्लेख किया गया है, फैक्स/ईमेल द्वारा अग्रिम सूचना के अतिरिक्त, प्रेषण की संपूर्ण जानकारी अधिसूचित करेगा और कूरियर द्वारा उन्हें निम्न दस्तावेजों की आपूर्ति भी करेगा (या जैसा कि अनुबंध में निर्देशित किया गया है),:
(क) क्लीन ऑन बोर्ड वायुपथ बिल/लदान का बिल (बी/एल)
(ख) मूल चालान
(ग) पैकिंग सूची
(घ) विक्रेता के वाणिज्यिक चैंबर से मूल प्रमाण पत्र
(ड़) ओईएम से वर्तमान निर्माण और गुणवत्ता का प्रमाण पत्र
(च) खतरनाक कार्गो प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।
(छ) सीआईएफ/सीआईएफ अनुबंध, यदि, की 110% बीमा पॉलिसी।
(ज) निष्पादन बॉण्ड/वारंटी प्रमाण पत्र

16. वारंटी
16.1 आपूर्तिकर्ता वारंटी देता है कि अनुबंध के तहत आपूर्ति किया गया माल नया, अप्रयुक्त और डिजाइन एवं सामग्री में सभी आधुनिक सुधारों से युक्त है, जब तक कि अनुबंध में भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया गया है। आपूर्तिकर्ता आगे फिर वारंटी देता है, कि अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए माल में डिजाइन, सामग्री या कारीगरी या किसी भी कार्य या आपूर्तिकर्ता की चूक से उत्पन्न होने वाला कोई दोष नहीं होगा, (जब अपनाई गई डिजाइन और/या उपयोग की गई सामग्री भारिबैंनोमुप्रालि के विनिर्देशों के अनुसार हैं, को छोड़कर) जो कि भारत में प्रचलित परिस्थितियों के तहत आपूर्ति किए गए माल के सामान्य उपयोग के तहत विकसित हो सकता है।

16.2 यह वारंटी, माल या उसका कोई भी भाग, जैसा भी मामला हो, अंतिम गंतव्य पर सुपुर्द किए जाने, और स्थापित किए जाने और अंतिम गंतव्य पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा कमीशन तथा स्वीकार किए जाने के बाद बारह महीनों के लिए या घरेलू सामान के लिए आपूर्तिकर्ता की परिसर (पहले से ही अपनी स्वयं की व्यवस्था के तहत आपूर्तिकर्ता

द्वारा आयातित माल सहित) से प्रेषण की तारीख से पंद्रह महीने के लिए या विदेशों से आयातित माल की पेशकश के लिए स्रोत देश में लोडिंग के बंदरगाह से लदान की तारीख

के बाद अठारह महीने के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, जब तक एससीसी में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं, वैध रहेगी।

16.3 इस वारंटी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के मामले में, भारिबैंनोमुप्रालि तुरंत आपूर्तिकर्ता को लिखित रूप में इस के लिए सूचित करेगा।

16.4 इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, आपूर्तिकर्ता, उचित गति के साथ सभी (या अवधि के भीतर, यदि एससीसी में निर्दिष्ट है) या उसके दोषपूर्ण माल या भागों को, लागत से मुक्त, परम गंतव्य पर मरम्मत/प्रतिस्थापित करेगा। आपूर्तिकर्ता प्रतिस्थापित और बदल दिए गए भागों/माल को उनके प्रतिस्थापन के बाद अपने पास ले लेगा और इस तरह के भागों/माल को उपलब्ध कराने के बाद भारिबैंनोमुप्रालि पर, जो कुछ भी हो, कोई दावा लागू नहीं होगा।

16.5 वारंटी अवधि के दौरान किसी दोष या किसी भी दोषपूर्ण माल के प्रतिस्थापन या किसी भी सुधार की स्थिति में, सुधारे गए/प्रतिस्थापित माल के लिए वारंटी की तारीख, इस तरह से माल के सुधार/प्रतिस्थापित करने के बाद भारिबैंनोमुप्रालि की संतुष्टि के अनुसार कार्य शुरू होने पर बारह महीने की अवधि के लिए बढ़ायी जाएगी।

16.6 यदि आपूर्तिकर्ता, अधिसूचित किए जाने पर भी, एक उचित अवधि के भीतर (यदि एससीसी में निर्दिष्ट या अवधि के भीतर), दोष (ओं) को सुधारने/प्रतिस्थापित करने में विफल रहता है, तो भारिबैंनोमुप्रालि आपूर्तिकर्ता की कीमत एवं जोखिम पर और अन्य संविदात्मक अधिकारों और उपचारों के पक्षपात के बिना, जो भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा आपूर्तिकर्ता के खिलाफ हो सकते हैं, इस तरह की सुधारात्मक कार्रवाई (यों) करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं जैसा कि भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा उचित समझी जाता है।

17. सौंपा गया काम/असाइनमेंट

17.1 आपूर्तिकर्ता, अनुबंध को प्रदर्शित करने के लिए, पूरे या हिस्से में, अपने संविदात्मक कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों को, भारिबैंनोमुप्रालि की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आवंटित नहीं करेगा।

18. उप संविदा/अनुबंध

18.1 यदि पहले से ही अपनी निविदा में निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत प्रदान किए गए सभी उप संविदाओं/अनुबंधों को लिखित रूप में भारिबैंनोमुप्रालि को अधिसूचित करेगा। इस तरह की अधिसूचना, अपने मूल निविदा में या बाद में, अनुबंध के नियम और शर्तों के तहत आपूर्तिकर्ता को अपनी किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व से भारमुक्त नहीं करेगी।

18.2 उप अनुबंध केवल खरीदी गई वस्तुओं और उप असेंबलियों के लिए किया जाएगा।

18.3 उप अनुबंध जीसीसी के खण्ड 5 ('उद्गम देश") के प्रावधानों का भी अनुपालन करेगा।

19. अनुबंध का संशोधन

19.1 जब अनुबंध एक बार निष्कर्षित किया जा चुका होता है, आम तौर पर उसकी नियम और शर्तें परिवर्तित नहीं की जाएगी। हालांकि, यदि आवश्यक हो, भारिबैंनोमुप्रालि, अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय आपूर्तिकर्ता को लिखित आदेश देकर अनुबंध के सामान्य दायरे के भीतर, परिवर्तन और आशोधन द्वारा अनुबंध में निम्न में से किसी भी एक या अधिक के लिए संशोधन कर सकता है:

(क) विनिर्देश, ड्राइंग, डिजाइन आदि जहां अनुबंध के तहत आपूर्ति किया जाने वाला माल विशेष रूप से
भारिबैंनोमुप्रालि के लिए निर्मित किया जा रहा हैं,
(ख) पैकिंग की विधा,
(ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली आकस्मिक सेवाएँ
(घ) प्रेषण की विधा,
(ड़) सुपुर्दगी का स्थान, और
(च) अनुबंध का कोई अन्य क्षेत्र (ओं), जैसा कि मामले के गुणों के आधार पर भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा आवश्यक महसूस किया जाता है।

19.2 किसी भी तरह के आशोधन/परिवर्तन के कारण आपूर्ति और प्रदान किए जाने वाले माल और सेवाओं की लागत में वृद्धि या कमी की स्थिति में, या आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबंध के तहत आवश्यक किसी भी दायित्व को निर्वाह करने के लिए समय में, अनुबंध की कीमत और/या अनुबंध सुपुर्दगी कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो सकता है, एक न्यायोचित समायोजन किया जाएगा और अनुबंध तदनुसार संशोधित किया जाएगा। यदि आपूर्तिकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा किए गए

समायोजन से सहमत नहीं होता है, तो आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के आशोधन/संशोधन की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर भारिबैंनोमुप्रालि को अपने विचारों से व्यक्त करना होगा।

19.3 विकल्प खण्ड: एससीसी में एक उपयुक्त प्रावधान द्वारा, क्रेता आदेशित मात्रा में, अनुबंध के अंतिम सुपुर्दगी तारीख तक उचित नोटिस द्वारा किसी भी समय 25% की वृद्धि करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही शुरू में आदेश की गई मात्रा पूर्ण रूप से सुपुर्दगी अवधि की अंतिम तारीख से पहले आपूर्ति कर दी गई है।

20. दाम

20.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों में माल की आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान के लिए वसूली जाने वाली कीमतें, आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी निविदा में बातचीत के दौरान या उद्धृत तद्विषयक कीमतों से भिन्न नहीं होगी, यदि कोई हो, और एससीसी में अधिकृत किसी भी कीमत के समायोजन के अलावा अनुबंध में शामिल की गई है।

21. कर और शुल्क

21.1 आपूर्तिकर्ता सभी प्रकार के करों, शुल्कों, फीस, लेवी आदि खर्च के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जब

तक अनुबंधित माल की सुपुर्दगी भारिबैंनोमुप्रालि को नहीं हो जाती।

21.2 आगे के अनुदेश, यदि कोई हो, एससीसी में उपलब्ध कराए अनुसार होगा।

22. नियम और भुगतान की विधि: जब तक अन्यथा एससीसी में निर्दिष्ट नहीं हैं, भुगतान की शर्तें इस प्रकार होगी :

22.1 जब तक अन्यथा एससीसी में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, क्रेता द्वारा माल की प्राप्ति और स्वीकृति तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के उत्पादन पर सामान्य भुगतान शर्त 100% होगी।

22.2 घरेलू सामान के लिए: जब तक अन्यथा एससीसी में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान आमतौर पर खाता में देय चेक द्वारा या केवल ईसीएस के माध्यम से किया जाता है।

22.2.1 जहां सुपुर्दगी की शर्तें प्रेषण एफओआर (FOR) स्टेशन है, प्रेषण और अन्य संबंधित दस्तावेजों के सबूत पर, भुगतान की शर्तें माल की प्रकृति और मूल्य, परिवहन आदि की विधा के आधार पर 60% से 90% (जैसा कि एसआईटी में निर्दिष्ट हैं) हो सकती है और बाकी का भुगतान परेषिती द्वारा साइट पर प्राप्ति और स्वीकृति पर होगा।

22.2.2 जहां सुपुर्दगी स्थल सीआईएफ गंतव्य/साइट पर सुपुर्दगी/एफओआर गंतव्य है, तो परेषिती द्वारा माल की प्राप्ति और स्वीकृति तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के उत्पादन पर सामान्य भुगतान शर्त 100% होगी।

22.2.3 जहां आपूर्ति किए गए माल की आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थापना और कमीशनिंग की जरूरत है, भुगतान शर्तें आम तौर पर निम्नलिखित प्रकार से होती हैं:

(क) अनुबंध जहॉ सुपुर्दगी की शर्तें एफओआर प्रेषण स्टेशन के रूप में हैं

i. अन्य निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रेषण के सबूत पर 60%
ii. परेषिती और संतुलन से साइट पर माल की प्राप्ति पर 30%
iii. उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सफल स्थापना और कमीशनिंग और स्वीकृति पर 10%

(ख) अनुबंध जहॉ सुपुर्दगी की शर्तें सीआईएफ गंतव्य/साइट पर सुपुर्दगी/एफओआर गंतव्य के रूप में हैं

i. परेषिती द्वारा गंतव्य पर माल की प्राप्ति और स्वीकृति तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के उत्पादन पर 90%

ii. सफल स्थापना और कमीशनिंग तथा परेषिती द्वारा स्वीकृति पर 10%

22.3 आयातित माल के लिए: जब तक अन्यथा एससीसी में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, भुगतान बेबदल साख-पत्र (एलसी) के माध्यम से किए जाते हैं।

(क) ऐसे मामले जहां स्थापना, निर्माण और कमिशनिंग (यदि लागू हो) आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी नहीं हैं - बिल/चालान, शिपिंग दस्तावेजों, निरीक्षण प्रमाणपत्रों (जहां लागू हो), 'निर्माताओं के परीक्षण प्रमाणपत्र आदि के लिए एफओबी/एफएएस कीमत का शुद्ध 100% भुगतान किया जाता है।

(ख) ऐसे मामले जहां स्थापना, निर्माण और कमिशनिंग आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी है - बिल/चालान, निरीक्षण प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), शिपिंग दस्तावेजों आदि के लिए एफओबी/एफएएस मूल्य का शुद्ध 80% से 90% (जैसा कि एससीसी में निर्दिष्ट किया गया है) भुगतान किया जाएगा और बाकी परेषिती के परिसर में सफलतापूर्वक स्थापना और कमिशनिंग तथा परेषिती द्वारा स्वीकृति के 21-30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(ग) एफओबी/एफएएस अनुबंध के खिलाफ एजेंसी कमीशन का भुगतान - अनुबंध की शर्तों में सभी अन्य भुगतान किए जाने के बाद आपूर्तिकर्ता को पूरा 100% एजेंसी कमीशन आम तौर पर भारतीय रुपए में भुगतान किया जाता है।

22.4 जब तक एससीसी में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तें लागू होगी।

22.5 भुगतान अनुबंध में अधिकृत मुद्रा/मुद्राओं में किया जाएगा।

22.6 आपूर्तिकर्ता धारा उन्नीस (XIX) के अनुसार लिखित रूप में भुगतान के लिए अपना दावा भेजेगा - "भुगतान के लिए बिल का प्रोफार्मा", जब अनुबंधात्मक रूप से देय, संबंधित दस्तावेज आदि के साथ, विधिवत रूप में तारीख के साथ हस्ताक्षरित जैसा कि एससीसी में किया गया है और उस तरीके से जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है।

22.7 भुगतान का दावा करते समय, आपूर्तिकर्ता को बिल में यह भी प्रमाणित करना होगा कि भुगतान जिसका दावा किया जा रहा है सख्त रूप से अनुबंध की शर्तों के अनुसार है और भुगतान का दावा करने के लिए आपूर्तिकर्ता की ओर से अनुबंध के तहत आवश्यक सभी दायित्वों को पूरा किया गया है।

22.8 महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान का दावा करने के लिए प्रस्तुत करने है:

क) मूल चालान

ख) पैकिंग सूची

ग) वाणिज्य विक्रेता के चैंबर से माल के मूल उद्गम देश का प्रमाण पत्र।

घ) भारिबैंनोमुप्रालि के प्रतिनिधि/नामिती द्वारा पूर्व प्रेषण के निरीक्षण का प्रमाण पत्र

ड़) निर्माता का जांच प्रमाण पत्र

च) निष्पादन/वारंटी बॉण्ड

छ) बीमा का प्रमाण पत्र

ज) एक सरकारी एजेंसी (डाक विभाग की तरह) द्वारा जारी लदान/वायु पथ बिल/रेल रसीद या किसी अन्य

प्रेषण दस्तावेज़ के बिल, या एक एजेंसी, जो संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत

झ) माल की प्राप्ति और स्वीकृति की पुष्टि का परेषिती द्वारा प्रमाण पत्र

ट) आयातित माल के मामले में खतरनाक कार्गो प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, ।

ठ) कोई अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज।

22.9 भारिबैंनोमुप्रालि से (बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी की तरह) शुल्क, करों आदि की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय और जैसी कि यदि अनुबंध के तहत अनुमति दी गई है, आपूर्तिकर्ता यह भी प्रमाणित करेगा, यदि वह इस तरह के करों और शुल्कों के लिए बाद में किसी तारीख को संबंधित प्राधिकरण से कोई भी वापसी मिलती है तो, वह (आपूर्तिकर्ता) भारिबैंनोमुप्रालि को वापस करेगा। आपूर्तिकर्ता संबंधित प्राधिकरण से इसे प्राप्त करने पर तुरंत भारिबैंनोमुप्रालि के लिए लागू राशि को वापस करेगा।

22.10 ऐसे मामले में जहां आपूर्तिकर्ता परेषिती से निरीक्षण नोट की रसीदी प्रतियों के अभाव में शेष भुगतान के लिए अपने बिल प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है और परेषिती ने नहीं मिलने, कमी, या आपूर्ति में किए गए दोषों के बारे में शिकायत नहीं की है, तो शेष राशि का परेषिती की प्राप्ति प्रमाण पत्र के बिना भुगतान प्राधिकारी द्वारा पूछे गए माल के लिए पूर्ववर्ती आंशिक भुगतान की तिथि से तीन महीने के बाद निम्नलिखित शर्तों के अधीन भुगतान किया जाएगा:

(क) आपूर्तिकर्ता कोई दोष या कमी को अच्छा करेगा जिसकी कि परेषिती (यों) माल की रवानगी की तारीख से छह महीने के भीतर रिपोर्ट कर सकता हैं।

(ख) आपूर्ति में देरी, यदि कोई हो, को नियमित कर दिया गया है।

(ग) अनुबंध की कीमत जहां यह भिन्नता के अधीन है, अंतिम रूप दिया गया है।

(घ) आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित वचन प्रस्तुत करता है :

"मैं/हम, _____ प्रमाणित करते हैं कि हमने परेषिती द्वारा विधिवत रसीदी निरीक्षण नोट या भारिबैंनोमुप्रालि से कोई भी संचार या परेषिती से गैर रसीद, आपूर्ति किए गए माल में कमी या दोष के बारे में नोट वापस प्राप्त नहीं किया है। मैं/हम कोई दोष या कमी को अच्छा बनाने के लिए सहमत हैं जो कि परेषिती

इस बाकी राशि के भुगतान या प्राप्ति की तारीख से तीन महीने या प्रेषण की तारीख से छह महीने के भीतर जो भी बाद में आती है, रिपोर्ट कर सकता हैं।

23. आपूर्तिकर्ता के निष्पादन में देरी

23.1 अनुबंध में निर्दिष्ट तारीख और समय या स्टोर की सुपुर्दगी के लिए विस्तारित समय अनुबंध का सार समझा जाएगा और आपूर्तिकर्ता माल देने और सेवाओं का निष्पादन भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा आवश्यकताओं की सूची में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनुबंध के तहत किया जाएगा, और जैसा कि अनुबंध में शामिल किया गया है।

23.2 जीसीसी के खंड 28 के तहत प्रावधानों के अधीन रहते हुए, माल की सुपुर्दगी और सेवाओं के निष्पादन के प्रति आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों को बनाए रखने के लिए किसी भी माफ न करने योग्य देरी के लिए, आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा निम्नलिखित किसी भी एक या सभी प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी प्रतिपादित करेगा :

क) परिसमापन क्षतिपूर्ति का अधिरोपण,
ख) इसके निष्पादन सुरक्षा की जब्ती और
ग) डिफ़ॉल्ट/चूक के लिए अनुबंध की समाप्ति।

23.3 अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, आपूर्तिकर्ता माल की समयबद्ध सुपुर्दगी और सेवाओं के निष्पादन में अवरोध की स्थिति का सामना करता है, तो आपूर्तिकर्ता तुरंत भारिबैंनोमुप्रालि को इसकी और इसकी संभावित अवधि के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और भारिबैंनोमुप्रालि से सुपुर्दगी अनुसूची में तदनुसार विस्तार करने के लिए अनुरोध करेगा। आपूर्तिकर्ता के संचार प्राप्त करने पर, भारिबैंनोमुप्रालि जितनी जल्दी हो सके इस स्थिति की जांच करेगा और अपने विवेक से, अनुबंध के लिए एक संशोधन जारी करने के साथ या परिसमापन क्षतिपूर्ति के बिना आपूर्तिकर्ता संविदात्मक दायित्वों के पूरा करने के लिए सुपुर्दगी अनुसूची में विस्तार करने के लिए सहमत हो सकता है।

23.4 जब सुपुर्दगी की अवधि, आपूर्तिकर्ता द्वारा माफ न करने योग्य देरी के कारण बढ़ी है, तो सुपुर्दगी अवधि का विस्तार किए जाने वाले संशोधन पत्र में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए:

क) अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 24 के प्रावधानों के तहत, भारिबैंनोमुप्रालि आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं और सेवाओं पर परिसमापन क्षतिपूर्ति, जो कि आपूर्तिकर्ता अनुबंध में निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के भीतर सुपुर्द करने में नाकाम रहा है, वसूल करेगा।

ख) किसी भी कारणवश कीमत में कोई वृद्धि, जो भी हो, अनुबंध में किसी भी शर्त पर या किसी भी अन्य कारणवश कीमत में हुई वृद्धि सहित और यह भी कि सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या किसी भी अन्य कर या शुल्क जो माल और अनुबंध में निर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में लगाया जा सकता है, की सांविधिक वृद्धि या उनके ताजा अधिरोपण सहित, जो कि अनुबंध में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख के बाद जगह लेते है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, स्वीकार्य नहीं होंगी जो कि अनुबंध में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख के बाद वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी और निष्पादन किया जाता है।

ग) लेकिन भारिबैंनोमुप्रालि तथापि, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या किसी भी अन्य शुल्क या कर या लेवी या किसी अन्य आधार से हुई कमी या छूट के कारणवश कीमत में किसी भी कमी के लाभ का हकदार होगा जो कि अनुबंध में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख की समाप्ति के बाद जगह लेता है।

23.5 आपूर्तिकर्ता सुपुर्दगी की अवधि की समाप्ति के बाद माल प्रेषण नहीं करेगा। आपूर्तिकर्ता को प्रेषित करने से पहले की सुपुर्दगी अवधि के विस्तार के लिए भारिबैंनोमुप्रालि को आवेदन करना आवश्यक होगा और इसे प्राप्त भी करना होगा। यदि आपूर्तिकर्ता विस्तार प्राप्त करने के बिना माल को प्रेषित करता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करेगा और इस तरह की आपूर्ति और/या ऐसी आपूर्ति से संबंधित कोई अन्य खर्च के भुगतान के लिए भारिबैंनोमुप्रालि के खिलाफ कोई दावा अपील नहीं किया जा सकेगा।

24. परिसमापन क्षतिपूर्ति

24.1 जीसीसी के खंड 28 के अधीन होते हुए, आपूर्तिकर्ता कोई भी या सभी सामान को सुपुर्द करने में विफल रहता है या अनुबंध में शामिल समय सीमा (ओं) के भीतर सेवाओं को प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अनुबंध के तहत, भारिबैंनोमुप्रालि के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारिबैंनोमुप्रालि, परिसमापन क्षतिपूर्ति के रूप में, वास्तविक सुपुर्दगी या निष्पादन से प्रत्येक सप्ताह की देरी या उसके किसी भाग के लिए, देर से सुपुर्द माल और/या सेवाओं के लिए सुपुर्दगी मूल्य की राशि के 0.5% प्रतिशत के बराबर (या कोई भी अन्य प्रतिशत यदि एससीसी में निर्धारित किया गया है) परिसमापन क्षतिपूर्ति के रूप

में अनुबंध की कीमत से कटौती करेगा, लेकिन देरी से सुपुर्द माल और/या सेवाओं के लिए अनुबंध की कीमत (ओं)

के अधिकतम कटौती 10% के बराबर (या कोई भी अन्य प्रतिशत यदि एससीसी में निर्धारित किया गया है) तक कटौती करेगा। ऊपर वर्णित आपूर्ति में देरी की अवधि और/या प्रदर्शन के दौरान ऊपर जीसीसी के उपखंड 23.4 के तहत शामिल शर्तें भी लागू होगी।

25 ठेकेदार को उधार दिए गए भारिबैंनोमुप्रालि की सामग्री/उपकरण/दस्तावेज की वापसी और हिरासत

25.1 जब भी निर्माण या प्रोटोटाइप या उप असेंबलियों या निर्माण में मार्गदर्शन के लिए फर्म/ठेकेदार को स्टोर जारी किया जाना आवश्यक होता हैं, तो ये एससीसी में निर्दिष्ट उचित बैंक गारंटी के साथ जारी किए जाऐंगे। बैंक गारंटी के अलावा, यदि एससीसी में निर्दिष्ट किया गया है, तो उचित बीमा भी पूछा जा सकता है।

25.2 अनुबंध के संबंध में ठेकेदार को जारी किए गए सभी चित्र और नमूने उसके द्वारा वापस किए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अंतिम भुगतान पर रोक लगाने के अलावा भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा उचित समझा जाने वाला अन्य प्रतिबंध भी लगाया जाएगा।

26. चूक/डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्ति/अवसान

26.1 यदि आपूर्तिकर्ता कोई एक या सभी माल को सुपुर्द करने में विफल रहता है या अनुबंध में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी भी अन्य संविदात्मक दायित्व (ओं) , या भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा जीसीसी के उप खंड 23.3 और 23.4 के अनुसार दिए गए किसी भी विस्तारण के भीतर, प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो भारिबैंनोमुप्रालि के लिए उपलब्ध संविदात्मक अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह (भारिबैंनोमुप्रालि), आपूर्तिकर्ता को डिफ़ॉल्ट की लिखित सूचना भेजकर, पूरे या हिस्से में अनुबंध को समाप्त कर सकती है।

26.2 यदि भारिबैंनोमुप्रालि, ऊपर जीसीसी के उपखंड 26.1 के अनुसार पूरे या हिस्से में अनुबंध को समाप्त करती है, भारिबैंनोमुप्रालि इस तरह के नियम और शर्तों के साथ और ऐसी रीति से, जो कि यह उचित समझती है, रद्द किए गए माल के समान माल और/या सेवाओं को आपूर्तिकर्ता के "जोखिम और लागत" पर अधिप्राप्त कर सकती हैं, और भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा इस तरह की

अधिप्राप्ति की व्यवस्था करने के लिए किए गए अतिरिक्त व्यय, यदि कोई होता है, के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होगा।
26.3 जब तक अन्यथा भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा निर्देशित नही किया गया है, आपूर्तिकर्ता अनुबंध समाप्त नहीं होने की सीमा तक अपना प्रदर्शन जारी रखेगा।

27. दिवालियेपन के लिए समाप्ति/अवसान

27.1 यदि आपूर्तिकर्ता या तो दिवालिया या अन्यथा कर्जदार हो जाता है, तो भारिबैंनोमुप्रालि कोई मुआवजा दिए बिना लिखित नोटिस देकर, किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जैसा भी हो, आपूर्तिकर्ता के लिए, आगे इस शर्त के साथ कि इस तरह की समाप्ति, अधिकार और उपचार पर कोई पूर्वाग्रह या कोई असर नहीं डालेगी जो कि इसके बाद भारिबैंनोमुप्रालि को उपार्जित हुए हैं और/या उपार्जित होंगे।

28. अप्रत्याशित घटना

28.1 अनुबंध की अवधि के दौरान स्टोर की आपूर्ति में सीधे रूप से हस्तक्षेप उत्पन्न करने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में जैसे युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु का कार्य, असैन्य हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी, या भगवान के कृत्यों, आदि में ठेकेदार उसके प्रारंभ से एक सप्ताह के भीतर इसके उचित सबूतों के साथ क्रेता को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा। जब तक अन्यथा भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा लिखित रूप में निर्देशित नहीं किया जाता है, आपूर्तिकर्ता यथोचित व्यावहारिक रूप से अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगा, और अप्रत्याशित घटना से बिना रूके प्रदर्शन के लिए सभी यथोचित वैकल्पिक उपाय ढूंढ़ेगा। यदि ऊपर उल्लेखित अप्रत्याशित घटना की स्थिति (यॉ) किसी भी समय 90 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रभाव में रहती है, तो इस तरह के अप्रत्याशित घटना के प्रारंभ से 90 दिनों की अवधि समाप्त होने पर दोनों पार्टियों के पास, किसी भी पार्टी द्वारा 14 दिनों का 'लिखित' में नोटिस देकर, अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा। ऐसी समाप्ति के मामले में, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी नुकसान हेतु दूसरे के खिलाफ दावा नहीं किया जाएगा, और उन दावों को छोड़कर जो कि ऐसी समाप्ति से पहले इस अनुबंध के किसी अन्य उपबंध के तहत घटित हुए थे।

28.2 जीसीसी के खंड 23, 24 और 26 में निहित प्रावधानों के बावजूद, आपूर्तिकर्ता ऐसे किसी भी प्रतिबंध के अधिरोपण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों

को पूरा करने में आपूर्तिकर्ता की विफलता और/या देरी एक अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप होती है।

28.3 यदि एक अप्रत्याशित घटना की वजह से भारिबैंनोमुप्रालि अपने अनुबंध की प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ होती है, भारिबैंनोमुप्रालि तदनुसार आपूर्तिकर्ता को सूचित करेंगी और बाद की कार्रवाई ऊपर उप पैराग्राफ में वर्णित ऐसी पंक्तियों के अनुसार की जाएगी।

29. सहूलियत के लिए समाप्ति

29.1 भारिबैंनोमुप्रालि पूरे या हिस्से में इसकी (भारिबैंनोमुप्रालि) की सहूलियत के लिए, अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय आपूर्तिकर्ता को लिखित नोटिस प्रदान करके अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। नोटिस यह निर्दिष्ट करेगा कि समाप्ति भारिबैंनोमुप्रालि की सहूलियत के लिए है। नोटिस को अन्य बातों के साथ यह भी संकेत देना होगा, कि अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता के प्रदर्शन को किस हद तक समाप्त किया गया है, और प्रभावी तिथि, जिस तारीख से इस तरह की समाप्ति प्रभावी हो जाएगी।

29.2 माल और सेवाएँ जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को अनुबंध की समाप्ति के नोटिस की प्राप्ति के बाद तीस दिनों के भीतर सुपुर्दगी और प्रदर्शन के लिए पूर्ण और तैयार होता हैं, तो यह अनुबंध की शर्तों, स्थितियों और कीमतों का अनुपालन करते हुए भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा स्वीकार किया जाएगा। शेष वस्तुओं और सेवाओं के लिए, भारिबैंनोमुप्रालि फैसला कर सकती हैं:

क. अनुबंध की शर्तों, स्थितियों और कीमतों पर बाकी बचे हुए माल के किसी भी हिस्से को पूरा करवाना और सुपुर्द करवाना; और/या

ख माल और सेवाओं के शेष भाग को रद्द करना और आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए माल और सेवाओं के शेष भाग की लागत खर्च की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक सहमति राशि का भुगतान करना।

30 शासकीय भाषा

30.1 जीआईटी के खंड 2 में निहित सभी प्रावधानों के अनुपालन में अनुबंध हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे। सभी पत्राचार और संबंधित अन्य दस्तावेज, जो पार्टियॉ आदान-प्रदान करती है, भी तदनुसार उसी भाषा में लिखे जाऐंगे।

31. नोटिस

31.1 अनुबंध से संबंधित एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दी जाने वाली अधिसूचना, यदि कोई हो, लिखित में या केबल या टेलेक्स या फैक्स द्वारा भेजी जाएगी और लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, प्रक्रिया नोटिस भेजने वाले

को इसके प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त करने के सबूत भी प्रदान करेगी। इस तरह के नोटिसों का आदान प्रदान करने के लिए पार्टियों के पते अनुबंध में शामिल किए गए पतों के अनुसार होंगे।

31.2 एक नोटिस की प्रभावी तिथि या तो वह तिथि होगी जब प्राप्तकर्ता को सुपुर्द किया जाता है या प्रभावी तिथि का विशेष रूप से नोटिस में उल्लेख किया होता है, जो भी बाद में आती हो।

32. आचार संहिता

भारिबैंनोमुप्रालि के साथ-साथ इसके बोलीदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, और भारिबैंनोमुप्रालि के अनुबंध के तहत सलाहकारों को अधिप्राप्ति या ऐसे अनुबंध के निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का अनुपालन करना होगा। इस नीति के अनुसरण में, इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, उल्लिखित की गई शर्तों को निम्न रूप से परिभाषित किया जाता हैं:

(क) 'भ्रष्ट आचरण' का मतलब, अधिप्राप्ति प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक सरकारी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए कुछ भी मूल्यवान पेशकश करना, देना, प्राप्त करना, या याचना करना है;

(ख) 'धोखाधड़ी अभ्यास" का मतलब अधिप्राप्ति प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए मिथ्या निरूपण या तथ्यों का लोप है,

(ग) "कपटपूर्ण अभ्यास" का मतलब दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच, क्रेता के ज्ञान के साथ या बिना, बोली मूल्य को कृत्रिम, गैर प्रतिस्पर्धी स्तर पर स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यवस्था या योजना है, तथा

(घ) "बलपूर्वक अभ्यास" का मतलब व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने या नुकसान पहुँचाने की धमकी देना है।

(ड़) नैतिकता का एक विशेष उल्लंघन ऊपर उल्लेखित अनैतिक आचरणों का एक से अधिक विस्तार हो सकता है।

32.1 अधिप्राप्ति के दौरान नैतिकता के मानकों को बनाए रखने के लिए निम्न नीतियॉ अपनाई जाएगी:

(क) प्रदान किए जाने वाले एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा अगर यह निर्धारित हो जाता है कि प्रदान किए जाने हेतु सिफारिश किए गए बोलीदाता ने पूछे गए अनुबंध की प्रतिस्पर्धा में, प्रत्यक्ष या एक एजेंट के माध्यम से, भ्रष्ट धोखाधड़ी, कपटपूर्ण या बलपूर्वक आचरणों का प्रयोग किया है।

(ख) एक अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा, यदि किसी भी समय यह निर्धारित हो जाता है कि अधिप्राप्ति या अनुबंध के निष्पादन के दौरान, भारिबैंनोमुप्रालि के प्रतिनिधियों/अधिकारियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्ट, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण या बलपूर्वक आचरणों का प्रयोग किया है।

(ग) यदि कोई भी व्यक्तिगत स्टाफ सदस्य जिम्मेदार पाया जाता है, सरकारी आचरण नियमों के तहत ऐसे कर्मचारी के खिलाफ लागू उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों सहित भारतीय कानून के तहत मौजूदा प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

(घ) भारिबैंनोमुप्रालि के अनुबंध से सम्मानित किए जा सकने वाली कंपनियों या व्यक्तियों पर एक उचित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद, या तो अनिश्चित काल या समय की एक घोषित अवधि के लिए, उन्हें अयोग्य घोषित करने सहित, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा/काली सूची में डाल दिया जाएगा, अगर यह किसी भी समय निर्धारित हो जाता है कि उन्होंने प्रत्यक्ष या एक एजेंट के

माध्यम से, प्रतिस्पर्धा में या भारिबैंनोमुप्रालि अनुबंध को क्रियान्वित करने के लिए, भ्रष्ट धोखाधड़ी, कपटपूर्ण या बलपूर्वक आचरणों का प्रयोग किया है।

33. विवादों के समाधान

33.1 यदि भारिबैंनोमुप्रालि और आपूर्तिकर्ता के बीच अनुबंध से संबंधित कोई विवाद या किसी भी तरह का मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो दोनों पार्टियों को इसका समाधान निकालने के लिए आपसी विचार-विमर्श द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हर संभव प्रयास करना होगा। यदि पार्टियॉ घटना के इक्कीस दिनों के भीतर अपने विवाद या मतभेद को इस तरह के आपसी परामर्श से हल करने में विफल रहती हैं, तो फिर, जब तक अन्यथा एससीसी में प्रदान नहीं किया जाता है, या तो भारिबैंनोमुप्रालि या आपूर्तिकर्ता विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता के माध्यम से, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के निम्नलिखित खंड के अनुसार सहारा प्राप्त कर सकते हैं।

33.2 मध्यस्थता खंड :- अगर दोनों दल इस तरह के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में विफल रहते हैं, तो कोई भी पार्टी (खरीदार या विक्रेता) इस तरह की विफलता के 21 दिनों के भीतर अन्य पार्टी को लिखित में नोटिस देगी कि विवाद या मतभेद के सभी मामलों पर मध्यस्थता की आवश्यकता है। इस तरह के लिखित नोटिस में वे मामले उल्लिखित होने चाहिए जिन पर मतभेद है या उन मतभेदों की वजह से ऐसा नोटिस दिया गया है और कोई अन्य मामला, वाणिज्यिक अंतर्राष्टीय चैंबर (आईसीसी) के सुलह और मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता करने के लिए नहीं भेजा जाएगा/संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRL) के द्वारा नीचे के खंड में सेट की गई प्रक्रिया के अनुसार तीन मध्यस्थों को नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही बैंगलोर/मैसूर/कोलकता में आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। सभी दस्तावेज जो मध्यस्थों द्वारा समीक्षा किए जाने है और/या पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते है, उनको अंग्रेजी में लिखा जाएगा या अनुवाद किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान बैंगलोर/मैसूर/कोलकता होगा। इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों को दलों की सहमति से पुरस्कार प्रदान करने के लिए समय का विस्तार करने की शक्ति दी जाएगी। मध्यस्थता के लिए लंबित संदर्भ, में सभी दलों को सभी पहलुओं और विवादों में अनुबंध/काम को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने होंगे, यदि कोई हो, और अंत में मध्यस्थता द्वारा तय किए जाऐंगे।

34. लागू कानून

34.1 अनुबंध की व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

34.2 अनुबंध के तहत सुपुर्दगी के स्थान या प्रदर्शन के स्थान या भुगतान के स्थान के बावजूद, अनुबंध, उस स्थान से बनाया गया समझा जाएगा जिस स्थान से निविदा की स्वीकृति की अधिसूचना जारी की गई है।

35. गोपनीयता

35.1 अनुबंध के संबंध में किसी भी कार्य में नियोजित सभी व्यक्तियों, को सरकारी गोपनीयता अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम का पूरा ज्ञान होना सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार आवश्यक सभी उचित कदम उठाएगा।

35.2 ठेकेदार या उसके कर्मचारियों या एजेंट या कोई भी व्यक्ति जो उसके काम के लिए कार्यरत है, द्वारा अनुबंध के निष्पादन के दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी,: जो, जैसी भी हो, जो कि भारत के किसी भी शत्रु के

लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम की हो सकती है, गुप्त मानी जानी चाहिए और किसी भी समय कोई भी व्यक्ति को सूचित नहीं की जाएगी।

35.3 उक्त शर्तों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर क्रेता को अनुबंध रद्द करने और ठेकेदार की कीमत और जोखिम पर स्टोर की खरीद या खरीद अधिकृत करने के लिए हकदार बनाएगी, इस तरह से रद्द करने की स्थिति में, अनुबंध के निष्पादन हेतु निर्मित स्टोर या उसके भागों को क्रेता द्वारा ऐसी कीमत पर लिया जाएगा जैसा कि वह निष्पक्ष और उचित समझता है और इस तरह के मूल्यों हेतु क्रेता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

भाग II : ऊपर उल्लिखित खंडों में संशोधन/के अलावा विशिष्ट प्रकार की निविदाओं के लिए अनुबंध की अतिरिक्त सामान्य शर्तें :

36. निविदा द्वारा स्क्रैप की बिक्री/निपटान

36.1 अनुबंध की अवधि के दौरान, मूल्य या दर में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।

36.2 भुगतान और डिफ़ॉल्ट

36.2.1 भुगतान नकद या मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में, किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए गए और एनआईटी में उल्लेख किए गए खाते के पक्ष में देय किया जा सकता है।

36.2.2 भारिबैंनोमुप्रालि के पास राशियां जमा या भुगतान की गई और अनुबंध की किसी भी शर्त के तहत बाद में क्रेता को वापस की गई हो, के लिए क्रेता को कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा।

36.2.3 यदि क्रेता अनुमति की अवधि के भीतर संबंधित खंड के अनुसार एक बेचे गए लॉट के लिए बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है, भारिबैंनोमुप्रालि सुरक्षा जमा की जब्ती कर सकता है। इस अवधि के विस्तार हेतु क्रेता द्वारा किए गए अनुरोध के लिए भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा विचार किया जा सकता है और अपने विवेक से, मामले की योग्यता के आधार पर, अनुबंध की तारीख से 50 दिनों तक आगे समय दे सकते हैं। इस तरह की राशि पर ब्याज, भुगतान तिथि की समाप्ति की तारीख से भुगतान की वास्तविक तारीख (भुगतान की वास्तविक

तिथि समाविष्ट) तक के लिए तक भारतीय स्टेट बैंक की पीएलआर की तुलना में अधिक, 2% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा ।

36.2.4 वह लॉट या वे लॉट जिनके संबंध में जब्ती की गई है, सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए क्रेता द्वारा त्यागा हुआ समझा जा सकता है और फिर से बेच दिया है या अन्यथा भारिबैंनोमुप्रालि के विवेक पर, संबंधित क्रेता के संदर्भ के बिना और भारिबैंनोमुप्रालि पर किसी भी दायित्व के अपने ऊपर लिए बिना, जो भी उसके संबंध में हो, निपटान किया जा सकता है।

36.2.5 यदि भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा विस्तारण की मंजूरी दी जाती है और निविदा बिक्री की विशेष शर्तों के प्रासंगिक खंड के अनुसार बिक्री राशि के देर से भुगतान किए जाने के कारण क्रेता द्वारा सुपुर्दगी पूरी नहीं की जा सकती है, तो निविदा बिक्री की विशेष शर्तों के प्रासंगिक खंड के अनुसार जमीन का किराया भी लगाया जाएगा।

36.2.6 भुगतान किए गए सबूत के उत्पादन पर, नामित प्राधिकारी क्रेता को स्क्रैप सामग्री लेने के लिए अधिकृत करने हेतु सुपुर्दगी आदेश जारी करेगा।

36.3 सुपुर्दगी, देरी और अनुबंध का उल्लंघन

36.3.1 बेचे गए माल या सामग्री का शीर्षक क्रेता/बोलीदाता को पारित कर दिया गया नहीं समझा जाएगा, जब तक कि भारिबैंनोमुप्रालि के अनुबंध के अनुसार क्रेता द्वारा पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं कर दिया गया है और अधिकृत अधिकारी द्वारा क्रेता के पक्ष में सुपुर्दगी आदेश जारी नहीं किया गया है।

बेचा गया माल नकद भुगतान प्राप्ति की रसीद और भारिबैंनोमुप्रालि के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए सुपुर्दगी आदेश के उत्पादन पर ही परिसर से हटाया जा सकता है।

36.3.2 जब तक एसआईटी में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, सामग्री उठाने के लिए सुपुर्दगी अवधि अनुबंध के समझौते को अंतिम रूप देने की तिथि से 60 दिनों तक के लिए होगी।

36.3.3 सुपुर्दगी का काम, शेयर धारक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, लेखा विभाग के प्रतिनिधि और भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा सुपुर्दगी के प्रयोजन के लिए विधिवत रूप से अधिकृत सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। सुपुर्दगी के काम की अनुमति कार्य-समय के दौरान दी जाएगी।

36.3.4 कोई भी सुपुर्दगी या बेचा गया माल रविवार, राजपत्रित अवकाश और भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा मनाई जाने वाली अन्य छुट्टियों के दिन नहीं दिया जाएगा। माल या सामग्री की सुपुर्दगी केवल अपने सामान्य कार्य-समय के दौरान संबंधित परिसर से ही प्रभावित की जाएगी। सुपुर्दगी कार्य-समय में पूरी करने के लिए सभी लोडिंग संबंधित परिसर के बंद होने के समय से आधे घंटे पहले समाप्त करनी चाहिए। कार्य-समय के संबंध में भारिबैंनोमुप्रालि का निर्णय अंतिम होगा और खरीददार पर बाध्य होगा। क्रेता को एक समय में एक से अधिक स्थान से स्क्रैप सामग्री उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

36.3.5 खरीदा गया स्टोर क्रेता द्वारा अपने जोखिम पर हटाया जाएगा और भारिबैंनोमुप्रालि के खिलाफ वजन में कमी के लिए, जिसका बाद में माल के सामग्री परिसर छोड़ने के बाद पता चलता है जहाँ से सुपुर्दगी ली गई है, कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, स्क्रैप को हटाने के लिए क्रेता को अपने ही बैग, डिब्बे या अन्य पात्र/धानी प्रदान करने चाहिए।

36.3.6 भारिबैंनोमुप्रालि, किसी भी दुर्घटना जो कि किसी भी कारण से क्रेता के मजदूरों/कर्मचारियों के साथ उत्पन्न हो सकती है, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्रेता को खुद को अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और दावों का भुगतान करने के लिए, जो भी यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी होगा। भारिबैंनोमुप्रालि ऐसे भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्रेता अपने

श्रमिकों/सेवकों और स्टाफ के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और कोई अतिरिक्त शुल्क उसी के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

36.3.7 बेचा गया माल, क्रेता द्वारा बिक्री की विशेष स्थिति से संबंधित खंड में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटाया जाएगा।

36.3.8 यदि भारिबैंनोमुप्रालि की ओर से कोई चूक के कारण, खरीददार बेचे गए माल को निर्धारित अवधि के भीतर दूर करने में असमर्थ होता है, तो भारिबैंनोमुप्रालि इसके लिए अवधि में विस्तार कर सकती हैं और तब ऐसी स्थिति में, क्रेता बेचे गए माल या सामग्री का इस तरह विस्तारित सुपुर्दगी अवधि के भीतर सुपुर्दगी लेने का हकदार होगा।

36.3.9 यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर बेचा हुआ स्क्रैप उठाने के लिए विफल रहता है, तो नहीं हटाए हुए स्क्रैप के मूल्य के 0.5% प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा माल वहॉ से हटाने तक क्रेता के जोखिम पर बना रहेगा। इससे आगे भारिबैंनोमुप्रालि एससीसी के प्रासंगिक पैरा में वर्णनानुसार जमीन का किराया वसूल करने की हकदार होंगी, जिसमें बेचा हुआ माल रखा या जमा किया जाता है - जो कि सामग्री को हटाने से पहले भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा क्रेता से वसूल किया जाएगा और इसके भुगतान में चूक की स्थिति में, भारिबैंनोमुप्रालि अपने विवेक से, ऐसी सामग्री की फिर से बिक्री के आदेश देने की हकदार होगी और क्रेता द्वारा भुगतान की गई सुरक्षा जमा या बिक्री राशि या दोनों, जब्त की जा सकती है।

36.3.10 क्रेता अपने अनुबंध के साथ धीमी गति से प्रगति करता है और भारिबैंनोमुप्रालि की राय में लगता है कि वह बिक्री की शर्तों में निर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध को पूरा करने में विफल हो सकता है, तो यह भारिबैंनोमुप्रालि के लिए पूरे अनुबंध या इस तरह के भाग को रद्द करने के लिए कानूनन वैध होगा जैसे कि पूरा नहीं किया जा सकता है और भारिबैंनोमुप्रालि क्रेता की कीमत तथा जोखिम पर किसी भी तरीके से माल को निपटाने के लिए स्वतंत्र होगी।

36.3.11 क्रेता को अनुबंधित श्रमिक विनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 और केंद्रीय नियम 1971 के प्रावधानों का पालन करना होगा और सहायक श्रम आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी जिसे इस तरह के लाइसेंस जारी करने का अधिकार है, से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संबंध में क्रेता की ओर से कोई विफलता उसके अपने जोखिम और परिणाम पर होगी। वह कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और संबंधित अन्य सभी वैधानिक और कानूनी प्रावधानों और दायित्वों का अनुपालन करेगा। क्रेता भारिबैंनोमुप्रालि के खिलाफ किए गए किसी भी दावे/दायित्व की क्षतिपूर्ति करेगा जो कि किसी भी कारणवश, जो भी हो, ठेकेदार के मजदूरों और कर्मचारियों को हो सकती है।

36.3.12 यदि क्रेता अनुबंध की किसी भी शर्त के साथ अनुपालन में चूक करता है, ऐसे लॉट या अनेक लॉट, जिनके संबंध में ऐसी चूक हुई है, की बिक्री रद्द की जा सकती है और इस तरह के लॉट या अनेक लॉट बिक्री के लिए फिर से रखे जा सकते है, और ऐसी स्थिति जिसमें, इस तरह के लॉट या अनेक लॉट के लिए कम कीमत पेशकश की जाती है और स्वीकार की जाती है, तो इस तरह के पुनर्विक्रय से हुए सभी खर्चों के साथ क्रेता कीमत में अंतर का भुगतान भारिबैंनोमुप्रालि को चूक हेतु करने के लिए उत्तरदायी होगा बशर्ते कि आगे चूक का क्रेता किसी भी लाभ, जो इस तरह के पुनर्विक्रय से उत्पन्न हो सकता है, का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

****